HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Interm Bail Application No. 6417/2026

Manraj Gurjar S/o Shri Bhaguta Gurjar, Aged About 30 Years, R/o Village Raidamodarpura, P.s. Datwas, Dist. Tonk (Rajasthan). (Petitioner Is Currently In Judicial Custody In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Satyam Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/04/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित अंतरिम जमानत हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– मानसरोवर, जिला– जयपुर सिटी (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 633/2025 में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त अग्रिम जमानत याचिका अपनी बहन के विवाह दिनांक 01.05.2026 को होने के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

इस संदर्भ में विद्वान लोक अभियोजक द्वारा सत्यापन रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त की बहन पूजा का पाणिगृहण संस्कार दिनांक 01.05.2026 को नियत होना उल्लेखित किया गया है। इस संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जिस अपराध से संदर्भित मामलें में उक्त अंतरिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई है उसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 11 आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानों में पंजीबद्ध होने के तथ्य आए हैं और विचारण न्यायालय व इस न्यायालय द्वारा

पूर्व में भी प्रार्थी/अभियुक्त की नियमित जमानत का आवेदन दिनांक 27.10.2025 के द्वारा अस्वीकार किया गया है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में आदेश दिनांक 27.10.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती प्रदान की गई है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.03.2026 द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत याचिका को निस्तारित करते हुए, संबंधित विचारण न्यायालय को यह निर्देश दिए गए है कि वह यथासंभव 6 माह में विचारण को पूर्ण करे और यदि उक्त अवधि में विचारण पूर्ण नहीं होता है तो प्रार्थी/अभियुक्त पुनः जमानत याचिका प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों व प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व में 11 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना उचित नहीं समता है।

प्रार्थी/अभियुक्त इस संदर्भ में संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा में उसे विवाह समारोह में सम्मिलत होने हेतु याचिका प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है। यदि इस संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त संबंधित विचारण न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत करता है तो विचारण न्यायालय उसका बिना किसी विलंब के निस्तारण करेगा।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR /81